समाचार

बेवजह घूमने, मास्क न लगाने, लाकडाउन के उल्लंघन पर लगा 15900 रू. जुर्माना

कोरबा 28 सितम्बर 2020 —लाकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से निकलकर बाहर घूमने, मास्क न लगाने एवं लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आज निगम अमले द्वारा विभिन्न जोनांतर्गत 27 एवं 28 सितम्बर को 15900 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, साथ ही इन लोगों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे घरों से बाहर निकलकर अनावश्यक रूप से भ्रमण न करें एवं लाकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें।

नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने एवं इसके नियंत्रण व बचाव की दिशा में जरूरी कदम उठाते हुए जिला प्रशासन द्वारा 23 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक 10 दिनों का लाकडाउन घोषित किया गया है। लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित हों, इस हेतु निगम का अमला लगातार सक्रिय रहकर आज भी लाकडाउन का पालन कराने में जुटा रहा। लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों, बेवजह घूमने वालों, मास्क न लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर निगम अमले द्वारा 27 एवं 28 सितम्बर को 15900 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोनांतर्गत 700 रूपये, बालको जोनांतर्गत 3900 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 400 रूपये, सर्वमंगला जोन में 9800 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 400 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 500 रूपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। नगर पालिक निगम कोरबा के कोरबा, टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, रविशंकर शुक्ल जोन सहित बालको, दर्री, बांकीमोंगरा व सर्वमंगला जोन में निगम का अमला सतत रूप से सक्रिय रहकर आज भी लाकडाउन का पालन कराने में जुटा रहा, वहीं बेवजह घूमने, मास्क न लगाने व मेडिकल आदि की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर भी निगम अमले द्वारा कार्यवाही की गई।

लाकडाउन में खोली दुकान, अमले ने किया सील— लाकडाउन के दौरान आज कोसाबाड़ी जोनांतर्गत आरटीओ आफिस के पास 02 गुमटी संचालकों द्वारा अपनी दुकानें खोल ली गई थी, निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर उक्त दोनों दुकानों को बंद कराकर उन्हें सील कर दिया एवं कड़ी हिदायत दी गई कि लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, अन्यथा और अधिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

निगम क्षेत्र में 698 कोरोना पाजिटिव होम आईसोलेट— नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत सभी 08 जोन के अंतर्गत अभी तक कोविड—19 के बिना लक्षण या कम लक्षण वाले 698 मरीज होम आईसोलेट हैं,

कोसाबाड़ी जोन में होम आईसोलेट मरीजों की संख्या अन्य जोनों की अपेक्षाकृत अधिक हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोन में 66, टी.पी.नगर जोन में 61, रविशंकर शुक्ल जोन में 73, कोसाबाड़ी जोन में 228, बालको जोन में 115, दर्री जोन में 86, सर्वमंगला जोन में 35, बांकीमोंगरा जोन में 34 बिना लक्षण या कम लक्षण वाले कोविड–19 के पाजिटिव मरीज होम आईसोलेशन पर हैं। नगर निगम कोरबा के अमले एवं निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा निरंतर होम आईसोलेट मरीजों की सतत निगरानी की जा रही है तथा होम आईसोलेशन की पात्रता रखने वाले नए कोविड–19 के मरीजों को होम आईसोलेशन कराने, उनके घरों में स्टीकर लगाने, उन्हें दवाईयों का किट उपलब्ध कराने सहित अन्य आवश्यक दायित्वों का सजगतापूर्वक निवर्हन निगम अमले द्वारा किया जा रहा है।